



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 560 ग्राम स्मैक (अनुमानित कीमत 11,20,000/- रुपये) बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा नशीले पदार्थों के कारोबार की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 10.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अमजद उर्फ लाला पुत्र ईसा निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को 560 ग्राम स्मैक सहित ग्राम नवाजपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 215/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त से पूछताछ कर अन्य साथियों के बारे में जानकारी कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त अमजद उपरोक्त ने पूछने पर बताया मैं जनपद शामली से स्मैक खरीदकर आस पास के इलाको में बेच देता हूँ। दिनांक 09.07.2024 को मैं अपने साथी के साथ स्मैक लेने शामली गया था और शामली से मैं अपने साथी के साथ लगभग 560 ग्राम स्मैक को खरीदकर वापस अपने गांव घाटमपुर आया था। रूपया माल बेचकर देना तय हुआ था। माल बिक्री होने पर जो भी मुनाफा होता है उसको हम आपस में बाँट लेते हैं। आज मैं खरीदी हुई स्मैक को बेचने के लिए जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमजद उर्फ लाला पुत्र ईसा निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 628/2018 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड़ सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 424/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड़ सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

560 ग्राम स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 माजिद अली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1122 प्रवीण कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 482 बलराम पंवार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. का0 202 विवेक धामा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



प्रेस नोट

दिनांक- 10.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तगण:- **1. नौसाद पुत्र स्व० सुलेमान निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या— 1617/08 धारा 379/411 भा०द०वि चालानी थाना को०देहात, 2. अनिल पुत्र चन्द्रभान निवासी ग्राम धौलाहेडी थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 2333/23 धारा 60/63 Ex Act, 3. धर्मेन्द्र पुत्र स्व० फूलसिंह निवासी ग्राम पठेड थाना चिलकाना सहारनपुर एवं 4. महावीर पुत्र स्व० फूलसिंह निवासी ग्राम पठेड थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 3200/23 452/323/504/506 भा०द०वि० को आज दिनांक 10.07.2024 ग्राम पठेड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. नौसाद पुत्र स्व० सुलेमान निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना चिलकाना सहारनपुर
2. अनिल पुत्र चन्द्रभान निवासी ग्राम धौलाहेडी थाना चिलकाना सहारनपुर
3. धर्मेन्द्र पुत्र स्व० फूलसिंह निवासी ग्राम पठेड थाना चिलकाना सहारनपुर
4. महावीर पुत्र स्व० फूलसिंह निवासी ग्राम पठेड थाना चिलकाना सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नौशाद उपरोक्त:-

वाद संख्या—1617/08 धारा 379/411 भा०द०वि चालानी थाना को०देहात ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अनिल उपरोक्त:-

मु०अ०सं०- 0264/16 धारा—60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर

मु०अ०सं०- 0417/18 धारा—60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर

मु०अ०सं०—0402/19 धारा—60/63 आबकारी अधिनियम व 272/273/420 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह:-

वाद संख्या-- 3200/23 452/323/504/506 भा०द०वि० थाना चिलकाना सहारनपुर

महावीर उपरोक्त:-

वाद संख्या-- 3200/23 452/323/504/506 भा०द०वि० थाना चिलकाना सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक - 10.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी को किया गया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहारनपुर के निर्देशन में आज दिनांक 10.07.2024 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा **NBW वारण्टी इनाम पुत्र इस्लाम निवासी हाजी नजीर का कारखाने के पास नदीम कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 1087/2019 धारा 125(3) सीआरपीसी थाना जनकपुरी सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया । वारण्टी अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इनाम पुत्र इस्लाम निवासी हाजी नजीर का कारखाने के पास नदीम कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- ❖ उनि0 श्री बृहम सिंह, थाना जनकपुरी, स0पुरा
- ❖ है0कां0 103 राजेन्द्र, थाना जनकपुरी, स0पुरा



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ सहारनपुर पुलिस द्वारा 04 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 405
ग्राम अवैध स्मैक बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं मादक पदार्थों की तस्कररी की रोकथाम व अपराध में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.07.2024 को चैकिंग के दौरान थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा 04 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. फरमान पुत्र कुर्बान निवासी ग्राम न्यामतपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर, 2. मोसीन पुत्र सलीम निवासी ग्राम न्यामतपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर, 3. नफीस पुत्र शब्बीर निवासी फरकपुर नवादा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर एवं 4. शहनवाज पुत्र शफीक निवासी ग्राम फरकपुर नवादा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर को ग्राम शेरपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 405 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 102/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण फरमान व मोसीन, नफीस, शहनवाज उपरोक्त ने एक स्वर बताया कि हम शामली के रहने व्यक्ति से स्मैक सस्ते दाम में खरीदकर बिहारीगढ व आस पास के क्षेत्रों में अधिक दामों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। आज जब हम स्मैक बेचने ही जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. फरमान पुत्र कुर्बान निवासी ग्राम न्यामतपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर
2. मोसीन पुत्र सलीम निवासी ग्राम न्यामतपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर
3. नफीस पुत्र शब्बीर निवासी फरकपुर नवादा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. शहनवाज पुत्र शफीक निवासी ग्राम फरकपुर नवादा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त फरमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 225/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 433/23 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 534/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 102/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त मोसीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 532/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 102/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त नफीस उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 102/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त शहनवाज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 102/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. उ0 नि0 श्री विनीत चौधरी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 774 अभिमन्यु थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. का0 1377 रवि कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
5. का0 273 प्रशान्त कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
6. का0 1557 गौरव पवार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
7. का0 2331 लवलेश राठी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
8. का0 2201 विपन कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10-07-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 413 ग्राम अवैध चरस के साथ 01 नशा तरकर अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध नशे के कारोबार में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.07.2024 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त **दिलशाद पुत्र जरीन निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को थाना बिहारीगढ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 413 ग्राम अवैध चरस नाजायज बरामद हुई है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त दिलशाद उपरोक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0स0-198/2024 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त दिलशाद उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह चरस मैं सस्ते दाम में बाहर से खरीदकर लाता हूँ तथा आसपास के ईलाकों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता हूँ। आज भी मैं चरस बेचने के ईरादे से ही जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दिलशाद पुत्र जरीन निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

413 ग्राम चरस नाजायज

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दिलशाद उपरोक्त:-

मु0अ0सं0 21/23 धारा 60 आबकारी अधि0 बेहट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री मंगत त्यागी थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 521 सुनील राणा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
4. है0का0 507 गौरव राणा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर



दिनांक - 10.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 10.07.2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 02 नफर अभियुक्तगण 1. प्रदीप कुमार पुत्र बीरबल सिंह निवासी खलासी लाईन नेहरू नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर, 2. गुरुविंदर सिंह पुत्र मनमोहन सिंह निवासी न्यू शारदा नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर अन्तर्गत धारा 170/126/135 बी0एन0एस0एस0 में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. प्रदीप कुमार पुत्र बीरबल सिंह निवासी खलासी लाईन नेहरू नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. गुरुविंदर सिंह पुत्र मनमोहन सिंह निवासी न्यू शारदा नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उप निरी० रश्मि कुमारी, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. कां० 2364 अनिल कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 10.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, पुलिस द्वारा दुष्कर्म का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.07.2024 को मुखविर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चन्द्रभान की पुलिया के पास से थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0स0 231/24 धारा 452/376/323 भादवि के वांछित अभियुक्त **मुस्तकीम पुत्र जाहिद निवासी ग्राम गन्देवड थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुस्तकीम पुत्र जाहिद निवासी ग्राम गन्देवड थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सुनील कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 1035 सचिन कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 547 पंकज कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10-07-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11,500/- रू0 एवं 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 13.05.2024 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अज्ञात द्वारा दिनांक 12-13/05/24 की रात्रि मे सोते हुए वादिया के कान से कुण्डल खीचकर भाग जाने के सम्बन्ध मे थाना बेहट पर मु0अ0सं0 151/2024 धारा-392 भादवि बनाम पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल अभियुक्त की शिनाख्त कर गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.07.2024 को घटना का सफल अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **जाबिर पुत्र सुबेदीन निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जिला सहारनपुर** को मुर्तजापुर रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से लूटे गये कुण्डल को बेचकर प्राप्त 11500 रू0 व 10 ग्राम अवैध स्मैक नाजायज बरामद की गयी। बरामद स्मैक के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 199/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त जाबिर उपरोक्त ने बताया कि मैंने दिनांक 12-13/05/24 की रात्रि को ग्राम मुर्तजापुर मे घर से बाहर सो रही महिला के कानो से सोने झुमकी खीची थी जिसको मैंने बैच दिया था एवं जो पैसे मुझे मिले है ये उसी झुमकी को बेचकर मिले थे तथा बरामद स्मैक के बारे मे पूछने पर बताया कि ये स्मैक मैं सस्ते दाम मे बाहर से खरीदकर लाता हूँ आसपास के गाँव मे जाकर बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता:-

जाबिर पुत्र सुबेदीन नि0 ग्राम पथरवा थाना बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

1-----10 ग्राम स्मैक नाजायज

2-----11500 रू0 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 151/24 धारा 392 भादवि)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त फरीद उपरोक्त:-

मु0अ0सं0 159/22 धारा 398/401 भादवि --- बेहट

2 मु0अ0सं0 160/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट --- बेहट

3 मु0अ0सं0 454/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट---- बेहट

4 मु0अ0सं0 178/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट----- बेहट

5 मु0अ0सं0 180/21 धारा 414 भादवि ----- बेहट

6 मु0अ0सं0 270/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट ----- बेहट

7 मु0अ0सं0 273/21 धारा 414 भादवि ----- बेहट

8 मु0अ0सं0 322/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट----- बेहट

9 मु0अ0सं0 102/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट ----- बेहट

10 मु0अ0सं0 151/24 धारा 392/411 भादवि ----- बेहट

11 मु0अ0सं0 199/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट ---- बेहट



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 10.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाले अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लाकर घटना मे प्रयुक्त 01 तमन्चा 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 06.10.23 को वादी श्री राजकुमार पुत्र सिताब सिंह निवासी ग्राम सौराना थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की नियत से वादी के मकान के गेट पर गोलिया चलाना जिससे घर के बाहर बंधी गाय के घायल हो जाने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 292/23 धारा 307/504/427 भादवि के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व आपराधिक घटनाओं के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने हेतु आज दिनांक 10.07.2024 को उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह द्वारा अभियुक्त उदय पुत्र संजीव निवासी ग्राम ठकदैई थाना नकुड जनपद सहारनपुर को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर जिला कारागार सहारनपुर से लाकर घटना मे प्रयोग तमन्चा 315 बोर अभियुक्त कि निशांदेही पर बरामद किया। आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण—अभियुक्त उदय ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 06.10.2023 को रात में समय करीब 01:30 बजे मैं व मेरे साथी 1. आशीष व 2. युवराज हम तीनों एक मो0साइकिल पर सवार होकर राजकुमार के घर ग्राम सौराना मे पहुँचे थे मो0साइकिल को आशीष चला रहा था युवराज तथा मैंने, राजकुमार के साथ गाली गलौच व नुकसान पहुंचाने की नियत से तमन्चो से राजकुमार के घर के गेट पर गोलियाँ चलायी थी फिर हम तीनों फायर करते हुए वहां से सहारनपुर की तरफ भाग गये थे तथा रास्ते मे मैंने अपना तमन्चा पी0जी0आई0 मेडिकल कालेज के सामने पडने वाले आम के बाग में एक जगह थैली में रखकर घास फूस में छिपाकर रख दिया था।

पुलिस कस्टडी रिमाण्ड शुदा अभियुक्त

1. उदय पुत्र संजीव निवासी ग्राम ठकदैई थाना नकुड जिला सहारनपुर

पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लाने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0का0 25 जय प्रकाश थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 1497 मोनू कुमार थाना सरसावा सहारनपुर

अभियुक्त उदय का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 437/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना सरसावा,
2. मु0अ0स0 292/2023 धारा 307/504/427 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा
3. मु0अ0स0 294/2024 धारा 307/506/120बी/34 भादवि थाना सदर बाजार
4. मु0अ0स0 302/2024 धारा 307/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार

बरामदगी का विवरण:---

01 तमन्चा 315 बोर (घटना मे प्रयुक्त)



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गई 01 स्कूटी बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 10.07.24 को वादी श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री राजेन्द्र प्रसाद नि० रेलवे क्वार्टर नं० 53/ 20 पंजाब होटल के पास रेलवे कालोनी सदर बाजार स०पुर द्वारा थाना पर मु०अ०स० 374/24 धारा 303(2) बीएनएस बाबत वांछित अभि० अंकुश उर्फ गौतम पुत्र सुनील पाठक निवासी आवास विकास थाना सदर बाजार द्वारा वादी की एकटीवा नं० UP11AS7045 रंग ब्लू को पंजाब होटल के सामने रेलवे के सरकारी क्वार्टर से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को निर्देशन में वांछित वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्र०नि० सदर बाजार श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर अभियुक्त **अंकुश उर्फ गौतम पुत्र सुनील पाठक निवासी आवास विकास थाना सदर बाजार** को आज दिनांक 10.07.2244 कोर्ट रोड पुल के पास से चोरी की स्कूटी एकटीवा नं० UP11AS7045 रंग ब्लू के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त अंकुश उपरोक्त ने बताया कि यह स्कूटी मैंने पंजाब होटल के सामने रेलवे के सरकारी क्वार्टर से चोरी की थी। आज मैं इसे बेचने के लिये जा रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। पकड़ी गयी एकटवा पर चैचिस नं०- ME4JF491LE8081835 व इंजन नं०- JF49E80089822 है जिसे मु०अ०स० 374/24 धारा 303(2) BNS थाना सदर बाजार पर पंजीकृत स्कूटी के चेचिस नम्बर व इंजन नम्बर से मिलान किया गया तो चोरी गयी स्कूटी के चेचिस नम्बर व इंजन नम्बर मेल खाती है।

अभियुक्त का नाम पता:-

अंकुश उर्फ गौतम पुत्र सुनील पाठक निवासी आवास विकास थाना सदर बाजार स०पुर।

बरामदगी का विवरण:-

01 स्कूटी एकटीवा नं० UP11AS7045 रंग ब्लू

अभियुक्त अंकुश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- मु०अ०स० 144/23 धारा 379 भादवि थाना को०देहात स०पुर।
- मु०अ०स० 362/2022 धारा 354/357 भादवि० थाना देवबंद स०पुर
- मु०अ०स० 202/2020 धारा 188 भादवि० थाना फतेहपुर स०पुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम:-

- उ०नि०श्री पुष्पेन्द्र थाना सदर बाजार सहारनपुर।
- हेड का० प्रवीण कुमार